

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

परियोजना निदेशक का कार्यालय

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 25/2016

- | | |
|---|--|
| 1. विज्ञापन दाता का नाम | :- परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास
अभिकरण, दुमका |
| 2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय | :- दिनांक 30.12.2016 को 3.00 बजे अप0 तक |
| 3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय | :- दिनांक 31.12.2016 को 3.00 बजे अप0 तक |
| 4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय | :- दिनांक 31.12.2016 को 3.30 बजे अप0 |
| 5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान | :- नगर थाना, दुमका |
| 6. निविदा प्राप्ति का स्थान | :- नगर थाना, दुमका |
| 7. कार्य की विवरणी | :- |

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	अग्रघन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
0	2	3	4	5	6
1	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय काठीजोरिया में चार अदद स्टॉफ क्वाटर (4 यूनिट) का निर्माण कार्य।	6000000.00	10000.00	120000.00	छः माह
2	आदिम जनजाति कल्याण छात्रावास +2 कन्या उच्च विद्यालय दुमका का जीर्णोद्धार।	1493000.00	2500.00	29860.00	फरवरी 2017
3	अनुसूचित जनजाति छात्रावास +2 राजकीय कन्य उच्च विद्यालय, दुमका +2 कन्या उच्च विद्यालय के पीछे का जीर्णोद्धार।	2202200.00	5000.00	44100.00	फरवरी 2017
4	अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावास सं0 02 +2 जिला स्कूल, दुमका का जिला स्कूल के पीछे जीर्णोद्धार	2202200.00	5000.00	44100.00	फरवरी 2017
5	दिवाकालीन विद्यालय निझोर में जलापूर्ति एवं डीप बोरिंग कार्य।	600000.00	1250.00	12000.00	03 माह
6	आदिवासी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय नकटी, काठीकुण्ड (बाथरूम, नाली एवं ऑगन का पक्कीकरण) का मरम्मत कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
7	आदिवासी आवासीय मध्य विद्यालय गुम्मापहाड़ी (छात्रावास भवन) का मरम्मत कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
8	आदिवासी आवासीय बालक मध्य विद्यालय लखनपुर, रामगढ़ की मरम्मत कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017

9	आदिवासी आवासीय बालक मध्य विद्यालय गांदो, कोरैया का मरम्मत।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
10	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र भुलपहाड़, दुमका का जीर्णोद्धार।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
11	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र महुआगढी, काठीकुण्ड का जीर्णोद्धार।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
12	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र छतुपाड़ा, शिकारीपाड़ा का जीर्णोद्धार।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
13	पुराना आयुर्वेदिक केन्द्र भवन कारुडीह, गोपीकान्दर का मरम्मत कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
14	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र सिदपहाड़ी, गोपीकान्दर में मरम्मत एवं जलापूर्ति कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
15	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपर मुर्गाथली, दुमका में मरम्मत एवं जलापूर्ति कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
16	पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेन्द्र घोड़ीबाद, जामा में मरम्मत एवं जलापूर्ति कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017
17	आदिवासी आवासीय मध्य विद्यालय उपर मुर्गाथली, दुमका में मरम्मत एवं जलापूर्ति कार्य।	500000.00	750.00	10000.00	15 फरवरी 2017

नोट :- निविदा की आवश्यक शर्त आईटीडीओए, दुमका कार्यालय के सूचना पट्ट एवं www.dumka.nic.in वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

परियोजना निदेशक,
समन्वयक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

निविदा की शर्तें :-

1. वर्णित कार्यों के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
2. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है।
3. निविदाकारों को भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी अथवा समुचित श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
4. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदाकारों को अद्यतन निबंधन एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के पश्चात ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। आरोपी संवेदक की निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
5. निविदाकारों द्वारा निविदा डालते समय अद्यतन निबंधन, चरित्र प्रमाण पत्र आयकर एवं वाणिज्यकर सफाया प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की छाया प्रतियाँ जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने अथवा एक से अधिक संवेदक के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
8. अग्रधन राशि परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीयकृत बैंक एफ0डी0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करना होगा।
9. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक (भारतीय स्टेट बैंक का होना अनिवार्य होगा) के रूप में अश्रीइस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति होगा एवं आवेदन के साथ (जो लौटाया नहीं जाएगा) परिमाण विपत्र निर्गत किया जाएगा। बैंकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक, दुमका के मुख्य शाखा में भुगतये होगा।
10. संवेदक को कार्य प्रोग्राम (Works Programme) देना अनिवार्य होगा।
11. सरकार द्वारा दी गई वर्तमान/तत्काल प्रभावी मजदूरी दर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को अपना दर शब्दों एवं अंको में दर्ज करना होगा एवं निविदा दाता द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 10 प्रतिशत की कम सीमा से आगे उदघृत कम दर मान्य नहीं होगा।
13. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सीमेंट (लाफार्ज एवं ए0सी0सी0) छड़, (सेल या टाटा टिस्कॉन) चिप्स, ईट, बालू आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्च पर वहन करना होगा।
14. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
15. निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्य स्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे साथ ही प्राक्कलन पढ़कर, दर तथा स्थल पर जमीन की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होकर ही निविदा डालेंगे।
16. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को अपने खर्च पर स्वयं समर्पित करना होगा।
17. श्रमिक उपकर के रूप में किये गये कार्य के विपत्र से नियमानुसार बिक्री कर, आयकर, श्रमिक उपकर (लेबर सेस), रॉयल्टी एवं खाली बोरा का मूल्य आदि की कटौती विपत्र से की जायेगी।
18. वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनका किसी प्रकार का किसी भी विभाग के साथ घोखा-धड़ी का मामला या अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित होगा। इस आशय का उन्हें शपथपत्र देना होगा।
19. कार्य आवंटन के पन्द्रह दिनों के अंदर संवेदक को एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, साथ ही कार्य ससमय पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
20. विगत तीन वित्तीय वर्षों में संबंधित श्रेणी में सफलतापूर्वक किये गये समान प्रकृति के कृत कार्यों की कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
21. वित्त विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प/आदेशों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।


परियोजना निदेशक,

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,

दुमका


ज्ञापांक 847...../आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 16/12/16

प्रतिलिपि :- स्थानीय सम्पादक, हिन्दुस्तान/प्रभात खबर को निविदा आमंत्रण सूचना का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वे संथाल परगना प्रमंडल में प्रकाशित होने वाले अपने संस्करण में इस आशय की सूचना का प्रकाशन DAVP दर पर 12 x 12 वर्ग सें0 मीटर करेंगे। कार्यालय में विपत्र समर्पित करने के उपरान्त इसकी भुगतान की जायेगी।


परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 847...../आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 16/12/16

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि निविदा की विवरणी को अपने जिला के बेवसाईट www.dumka.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।


परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका